न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 21/2021 **दायर दिनांकः 01/02/2021**

उनवान

1. अजेन्द्र कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. गोबरीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री गोपालदास जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज.

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं
धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक :15/07/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम एवं माल मेरमातालाब तह0 अटरू में खाता स0 45 की खसरा स0 1338/1082, का रकबा 0.96 है0 आराजी वादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें उसका 1/8 हिस्सा दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 वादपत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम एवं माल मेरमातालाब संवत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू में खाता संख्या 68 का खसरा नं. 1005 का रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 1006 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 1008 का रकबा 0.91 है0, खसरा नं. 1064 का रकबा 1.15 है0, खसरा नं. 356 का रकबा 0.03 है0, एवं खसरा नं. 546

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 12:18:01 IST
Reason: SelfAttested

का रकबा 0.22 है, कुल किता 7 का कुल रकबा 5.11 है0 आराजी वादीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीक्रम 1 का हिस्सा 1/20 हिस्सा दर्ज खाता है एवं वादीक्रम 2 का हिस्सा 1/5 दर्ज खाता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों की लापरवाही के कारण वादीक्रम 1 का नाम सहवन से अजेन्द्र के स्थान पर गजेन्द्र अंकित हो गया है। जो कि गलत है। जबकि वादीक्रम 1 का वास्तविक नाम अजेन्द्र है। वादीक्रम 1 के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में भी वादीक्रम 1 का नाम अजेन्द्र ही दर्ज है। जो कि वादीक्रम 1 का वास्तविक नाम है। उक्त दस्तावेज वादपत्र के साथ संलग्न है। इसी प्रकार वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों की लापरवाही के कारण वादीक्रम 2 का नाम सहवन से तुलसीराम के स्थान पर गोबरीलाल अंकित हो गया है। जो कि गलत है। जबकि वादीक्रम 2 का वास्तविक नाम तुलसीराम है। वादीक्रम 2 के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में भी वादीक्रम 2 का नाम तुलसीराम ही दर्ज है। जो कि वादीक्रम 2 का वास्तविक नाम है। उक्त दस्तावेज वादपत्र के साथ संलग्न है। वादीगण प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवाकर, वादीक्रम 1 का नाम गजेन्द्र के स्थान पर अजेन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तह. अटरू तथा वादीक्रम 2 का नाम गोबरीलाल के स्थान पर तुलसीराम पुत्र गोपालदास जाति बैरागी मेरमातालाब तह. अटरू दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गये गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से वादीक्रम 1 का नाम गजेन्द्र तथा वादीक्रम 2 का नाम गोबरीलाल दर्ज कर देने से वादीगणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में वादीगणों का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से ऋण आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। वादीगणों ने प्रतिवादी से संलग्न दस्तावेजों के आधार पर नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंनें नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया और माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस कारण यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण वादीगणें को अपने खाते की भूमि में नाम गलत होने की जानकारी होने पर एवं तथा दिनांक 11.01.2021 को खाते की नकल प्राप्त करने पर बमुकाम न्यायालय के सीमा क्षैत्र में प्रथम व अंतिम बार उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 12:18:01 IST
Reason: SelfAttested

में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उसे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि डिक्री बहक विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः–

(अ)–राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 45 का ख0नं0 1338/1082 का रकबा 0.96 है0 में हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 68 की कुल किता 7 का रकबा 5.11 है0 में हिस्सा 1/20 आराजी ग्राम मेरमातालाब में वादी क्रम 1 का नाम अजेन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तह. अटरू तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 68 की कुल किता 7 का रकबा 5.11 है0 में हिस्सा 1/5 आराजी ग्राम मेरमातालाब में वादी क्रम 2 का नाम तुलसीराम पुत्र गोपालदास जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तह. अटरू दर्ज कर उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

(ब)– वाद व्यय एवं अन्य न्यायाचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1, से PW_3, के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि रिकार्ड अनुसार वादी क्रम 1 का खाते में नाम गजेन्द्र के स्थान पर रिकार्ड अनुसार सही नाम अजेन्द्र अंकित किया जावें। तथा वादी क्रम 2 का नाम गोबरीलाल पुत्र गोपालदास जाति बैरागी के स्थान पर सही नाम तुलसीराम पुत्र गोपालदास जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तह. अटरू दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076 ग्राम मेरमातालाब खाता. सं. 45 में व खाता सं. 68 में गजेन्द्र पुत्र धन्नालाल दर्ज है। ग्राम मेरमा तालाब की खाता सं. 68 में सहखातेदार गोबरीलाल पुत्र गोपालदास दर्ज है। आधार कार्ड, राशन कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 12:18:01 IST
Reason: SelfAttested

भामाशाह कार्ड में वादी क्रम 1 का नाम अजेन्द्र पुत्र धन्नालाल तथा वादी क्रम 2 नाम तुलसीराम पुत्र गोपाल दास अंकित है। तथा ग्राम पंचायत भैंसडा पंचायत समिति अटरू के प्रमाण पत्र अनुसार वादी क्रम 1 का नाम गजेन्द्र के स्थान पर अजेन्द्र पुत्र धन्नालाल व वादी क्रम 2 का नाम गोबरीलाल के स्थान पर तुलसीराम पुत्र गोपालदास किया जावे।

साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर वादी क्रम 1 व 2 का सही नाम खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता स0 खाता संख्या 45 का ख0नं0 1338/1082 का रकबा 0.96 है0 तथा खाता संख्या 68 की कुल किता 7 का रकबा 5.11 है0 में वादी क्रम 1 का नाम सहखातेदार गजेन्द्र पुत्र धन्नालाल दर्ज है, जिसको दुरूस्त किया जाकर सहखातेदार गजेन्द्र उर्फ अजेन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल तथा खाता संख्या 68 की कुल किता 7 का रकबा 5.11 है0 हिस्सा 1/5 में वादी क्रम 2 का नाम सहखातेदार गोबरीलाल पुत्र गोपालदास दर्ज है जिसे दुरूस्त कर गोबरीलाल उर्फ तुलसीराम पुत्र गोपालदास जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 12:18:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 21/2021

उनवान

1. अजेन्द्र कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. गोबरीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री गोपालदास जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज.

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं

धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X.............................

बहाजिर :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता स0 खाता संख्या 45 का ख0नं0 1338/1082 का रकबा 0.96 है0 तथा खाता संख्या 68 की कुल किता 7 का रकबा 5.11 है0 में वादी कम 1 का नाम सहखातेदार गजेन्द्र पुत्र धन्नालाल दर्ज है, जिसको दुरूस्त किया जाकर सहखातेदार गजेन्द्र उर्फ अजेन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल तथा खाता संख्या 68 की कुल किता 7 का रकबा 5.11 है0 हिस्सा 1/5 में वादी कम 2 का नाम सहखातेदार गोबरीलाल पुत्र गोपालदास दर्ज है जिसे दुरूस्त कर गोबरीलाल उर्फ तुलसीराम पुत्र गोपालदास जाति बैरागी निवासी मेरमातालाब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.07.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	[illegible] अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 12:18:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)